संख्या:83/2019/3584जेएल/22-3-19-100(45)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अजीत उर्फ हप्पू पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24596/सामा-1(3)/के0का0फतेहगढ़/2019, दिनांक 08-08-2019 द्वारा रिट याचिका संख्या-20851/2019-अजीत उर्फ हप्पू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2019 के अनुपालन में की गयी संस्तुति एवं पत्र संख्या-25348/सामा-1(3)/रि0या0-20851/2019, दिनांक 17-08-2019 में किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अजीत उर्फ हप्पू पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को केन्द्रीय कारागार बरेली में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:83/2019/3584जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/बरेली।
4. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर बंदी को मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़/बरेली।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in